

21.02.22

पत्रावली चेष्टा हुई। मपीलोट मधिवक्ता अ.।  
देव्या. बावजूद तामील मनुपल्लित। मपीलोट  
मधिवक्ता ने कहल करले हुए निवेदन  
किमा कि सधीनका मामलय हाय  
मपीलाधीन निर्णय व डिफ्री लोक सदासते  
बैज्य मोटे में उपमपसकायन की  
मनुपल्लिति में बिना जबाबदावा लिमे,  
बिना तनकीमात कामम किमे, बिना  
साह्य लिमे पारित की गई जे  
जाकुतिरु ग्राम विद्याल के खिलाफ है।

राजस अपील अधिकारी  
बाहमेर

मधीन लय न्यायालय द्वारा अपीलॉट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलॉट की अपील मन्दल सिमाद शुमाद कटरे हुए लीकाए फरमाई जावे।

अपीलॉट अधिकार की पत्रवली पर लखक सुनीया मधीन लय न्यायालय द्वारा अपीलॉट निर्णम व डिक्ली कौम कोर्ट में उजमल की अनुपस्थिति में पारि की गई। इतलिय अपीलॉट को अपीलॉट निर्णम का ज्ञान नहीं है अतः वास्तविक ज्ञान की वारीय से अपील मन्दल सिमाद पेदा हो अपील मन्दल सिमाद शुमाद की जाती है।

मधीन लय न्यायालय द्वारा अपीलॉट निर्णम व डिक्ली कौम कोर्ट में पारि विमा गया जबकि कौम कोर्ट में आपसी सहमति के ही निर्णम पारि विमा ना सका हो मधीन लय न्यायालय द्वारा अपीलॉट को सुनवाई का अनुमित अवसर नहीं दिया गया। मधीन लय न्यायालय द्वारा अपीलॉट निर्णम व डिक्ली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किसे बिना पारि की गई। उपरोक्त विवेक एवं तथ्यों के समूह में अपीलॉट की अपील मोधिक लीकाए कर शुमलण रिमाणु करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलॉट मोधिक लीकाए की तया मधीन लय न्यायालय लहामरु

जाती है  
राजस्व अपील अधिकारी  
बाइमेर


2

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम  
जो इस हुक्म की  
तामील में जारी  
हुए

कलेक्टर काइमेर द्वारा लखन बान  
शुभा लनाम देवा बगैः मुकदमा नं.  
156/2014 में पारित निर्णय किंठ  
10.05.2017 की मया लू क्रिया  
जाकर प्रकण मधीन लय न्यायालय  
को इस निर्देश के साथ प्रतिवेष्टित  
कि जमीनी है कि मपीलान्त को साक्ष्य  
सम्बन्धित प्रेषा करने का अवसर  
देते हुए बाद की लंपूर्ण प्रक्रियागत  
कार्यवाही को पूर्ण करने हुए गुणाबगुण  
पर विधि सम्बन्धित निर्णय पारित करे।  
मधीन लय न्यायालय का अन्तिलेख  
मम निर्णय प्रति लौरामा जरे। मोदेवा  
सर इजलावा मुनामा ममा।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बाहमेर